**<u>अत्यावश्यक</u>**

**पंचायत उप निर्वाचन, 2025**

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
**STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR**

संख्या–प0नि0–30–17 / 2025...1029

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार

पटना, दिनांक– 4.4.25

**विषय :– पंचायत उप निर्वाचन, 2025 हेतु मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।**

**प्रसंग :– आयोग का पत्रांक–785 दिनांक–19.03.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि आयोग का पत्रांक–785, दिनांक–19.03.2025 द्वारा पंचायत उप निर्वाचन 2025 के लिए मतदाता सूची तैयार किये जाने हेतु दिशा–निर्देश एवं कार्यक्रम प्रेषित किये गए हैं। इस पत्र की कंडिका 6 में प्रारूप प्रकाशन के पूर्व की जाने वाली कार्रवाई का निदेश संसूचित किया गया है। उक्त कंडिका में वर्णन है कि विखंडीकरण के क्रम में एक विधानसभा क्षेत्र के मतदाता को वार्ड की मतदाता सूची में शामिल करने के पश्चात शेष मतदाता की विवरणी का मिलान कर लिया जाएगा ताकि किसी मतदाता का नाम छुट नहीं जाए। आयोग के पत्रांक–943 दिनांक–28.03.2025 द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता सूची के विखंडीकरण से दावा/आपति के निष्पादन की प्रक्रिया एवं अनुश्रवण का यूजर मैन्यूअल उपलब्ध कराया गया है। दिनांक–02.04.2025 को मतदाता सूची का विखंडीकरण एवं प्रारूप प्रकाशन का पी0डी0एफ0 तैयार करने का प्रशिक्षण Video Conferencing के माध्यम से दिया जा चुका है तथा दिनांक–03.04.2025 को Booth Selection एवं Reason For Remaining Electors के संबंध में प्रशिक्षण Video Conferencing के माध्यम से दिया गया है। त्रुटि रहित मतदाता सूची के निर्माण के लिए प्रारूप प्रकाशन के पूर्व आयोग के वेबसाईट पर पंचायत उप निर्वाचन, 2025 Phase-1 के सेक्शन के अंतर्गत निर्वाचक सूची विखंडीकरण में **Booth Selection Menu** में विधानसभा क्षेत्र के भाग में कुल मतदाता की संख्या के आधार पर प्रपत्र–'क' के अनुसार मतदाता सूची का **चंक** बनाना है और Remaining Electors reason एवं मतदाता की संख्या की प्रविष्टि करना है। तत्पश्चात विवरण के अनुसार लंबित मतदाताओं के लिए **Reason For Remaining Electors का Menu** दिया हुआ है जिसे क्लिक कर छुटे हुए मतदाताओं को किस कारण से मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है, का कारण अंकित करना है। **इस प्रक्रिया का पालन किये बिना मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन नहीं हो पायेगा।** ससमय प्रारूप प्रकाशन नहीं होने की स्थिति में संबंधित दोषी पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847] E-mail: secbihar@gmail.com

अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि यूजर मैन्यूअल में दिये गए प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए त्रुटिरहित मतदाता सूची का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

04/4/25

सचिव।

ज्ञापांक– प0नि0–30–17/2025 1029 पटना, दिनांक–4.4.25

प्रतिलिपिः– श्री राहुल गुप्ता, DBA, SER/श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/4/25

सचिव